सीमा संदेश

हाउसिंग बोर्ड करेगा 200 करोड रुपए मूल्य से अधिक की व्यावसायिक सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन

कुल 78 व्यावसायिक सम्पत्तियां होंगी नीलाम, 55 व्यावसायिक और 23 आवासीय सम्पत्तियां

भुगतान शर्तों में दी जा रही है भारी छूट

जयपुर (का.सं.)। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आगामी जुलाई महीने में लगभग 200 करोड़ रुपए की व्यावसायिक सम्पत्तियों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचेगा। उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा प्रताप नगर और मानसरोवर योजना में कुल 78 सम्पत्तियों का ई-ऑक्शन किया जायेगा। इनमें 55 व्यावसायिक और 23 आवासीय सम्पत्तियां शामिल है।

आयुष मार्केट में होगा 11 दुकानों के लिये 13 से 15 जुलाई तक ई-ऑक्शन

उन्होंने बताया कि प्रताप नगर योजना स्थित बनने वाले आयुष मार्केट (दवा मार्केट) में 11 भूखण्डों के लिये ई-ऑक्शन 13 से 15 जुलाई तक होगा। इन भूखण्डों का न्यूनतम बोली मूल्य 65 हजार 500 रूपये से लेकर 68 हजार 800 रूपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। इनमें से एक दुकान पैथोलॉजी लेब के लिये आरक्षित रखी गयी है।

आरएचबी आतिश मार्केट के 12 शोरूम भूखण्डों का होगा 22 से 24 जुलाई को ई-ऑक्शन

अरोड़ा ने बताया कि मण्डल की प्रतिष्ठित मानसरोवर योजना में विकसित आरएचबी आतिश मार्केट में 12 शोरूम भूखण्डों का ई-ऑक्शन 22 से 24 जुलाई को आयोजित किया जायेगा। इन भूखण्डों का न्यूनतम बोली मूल्य 80 हजार रूपये से लेकर 81 हजार 400 रूपये रखा गया है।

18 आवासीय और 16 व्यावसायिक प्रीमियम सम्पत्तियों का 15 से 17 जुलाई को होगा ई-ऑक्शन

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर की प्रतिष्ठित प्रताप नगर योजना स्थित 12 आवासीय भूखण्डों और 1 स्वतंत्र आवास, मानसरोवर योजना स्थित उच्च आय वर्ग के 3 आवासीय भूखण्डों और अजमेर स्थित पंचशील योजना में 2 आवासीय भूखण्डों का ई-ऑक्षन 15 से 17 जुलाई को होगा। इसी तरह सेक्टर-10 प्रताप नगर स्थित 3 दुकानों, मानसरोवर योजना स्थित झूलेलाल मार्केट में 6 दुकानों, सीबीसी मानसरोवर में 9 दुकानों, कमर्शियलयल बेल्ट बी मानसरोवर में 5 दुकानों और महावीर नगर पारिजात कोटा में 2 दुकानों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचा जायेगा।

10 आवासीय और 11 व्यावसायिक प्रीमियम सम्पत्तियों का 20 से 22 जुलाई को होगा ई-ऑक्शन

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर की प्रतिष्ठित प्रताप नगर योजना स्थित 4 आवासीय भूखण्डों, मानसरोवर योजना स्थित उच्च आय वर्ग के 3 आवासीय भूखण्डों, दादाबाड़ी कोटा स्थित 2 और मुक्ता प्रसाद बीकानेर में 1 स्वतंत्र आवास का ई-ऑक्शन 20 से 22 जुलाई को होगा। इसी तरह सेक्टर-10 प्रताप नगर स्थित 4 दुकानों, मानसरोवर योजना स्थित झूलेलाल मार्केट में (फूडकोर्ट) 3 दुकानों और कमर्शियल बेल्ट बी मानसरोवर में 4 दुकानों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचा जायेगा।

जयपुर व जोधपुर की प्रतिष्ठित योजनाओं में व्यावसायिक व आवासीय भूखण्ड खरीदने का सुनहरा अवसर

अरोड़ा ने बताया कि मण्डल द्वारा जयपुर की मानसरोवर, प्रताप नगर और जोधपुर की चौपासनी योजना में बड़े व्यावसायिक व आवासीय भूखण्डों को 27 से 31 जुलाई तक ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचा जायेगा। उन्होंने बताया कि मानसरोवर के शिप्रा पथ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 14ई/एल, 14ई/एल-1 और 7सी-2ए जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 2741, 2739 और 1137 वर्ग मीटर है। इनक न्यूनतम बोली मूल्य 60 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। इन सभी भूखण्डों का ई-ऑक्शन 27 से 29 जुलाई को आयोजित किया जायेगा। इसके साथ ही प्रताप नगर के महल रोड स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 232/एफ-2, 232/एफ-3 जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 3000 और 3213 वर्ग मीटर है, का न्यूनतम बोली मूल्य 49 हजार रुपए और 51 हजार 500 रूपये है। इसी तरह प्रताप नगर योजना के हल्दी घाटी मार्ग स्थित भूखण्ड संख्या एच-जी-1/सी-1, एच-जी-1/सी-2 जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 977 वर्ग मीटर और 703 वर्ग मीटर के भूखण्ड का न्यूनतम बोली मूल्य क्रमशः 51 हजार 500 रूपये और 49 हजार रूपये रखा गया है। इन सभी भूखण्डों का ई-ऑक्शन 29 से 31 जुलाई को आयोजित किया जायेगा। इसी तरह जोधपुर की चौपासनी योजना में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या जी-एच-1, 16/545 जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 2271, 524 वर्ग मीटर है, का न्यूनतम बोली मूल्य 60 हजार रूपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। इन भूखण्डों का ई-ऑक्शन भी 29 से 31 जुलाई को आयोजित किया जायेगा।

भुगतान शर्तों में मण्डल द्वारा दी जायेगी भारी छूट

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्पत्तियों की नीलामी में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें, इसके लिये भुगतान के शर्तों में भारी छूट दी गई है। अब अमानत राशि (ईएमडी) बिड मूल्य के 5 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत ही ली जायेगी। सफल बिड राशि की 15 प्रतिशत राशि 3 दिवस में जमा करानी होगी, जिसमें 2 प्रतिशत ईएमडी समायोजित कर ली जाएगी। बिड स्वीकृति के पश्चात बिड मूल्य की (विविध खर्चों सहित) 35 प्रतिशत राशि 240 दिवस में एवं शेष 50 प्रतिशत राशि 360 दिवस में जमा करवाई जा सकती है। सम्पूर्ण नीलामी राषि मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराने पर नीलामी मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

आवासन मण्डल खाली कराएगा मानसरोवर का उपपंजीयक कार्यालय

जिला कलक्टर और महानिरीक्षक पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग को लिखा पत्र

जयपुर (कासं.)। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल मानसरोवर स्थित मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के उपपंजीयक कार्यालय(षष्ठम) को खाली कराएगा। इस सम्बंध में जिला कलक्टर, जयपुर और महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई, 2020 तक इस भवन को खाली करा लिया जाएगा।

अरोड़ा ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग का उपपंजीयक(षष्ठम) कार्यालय मानसरोवर के माध्यम मार्ग स्थित थड़ी मार्केट में चल रहा है। मंडल द्वारा नियमों एवं शर्तों के अधीन वर्ष 2005 में भवन के एक भाग को किराए पर उपलब्ध कराया गया था, लेकिन यह क्षेत्र अत्यंत भीड़ भरा हो गया है, साथ ही यहां पार्किंग भी पर्याप्त सुविधा नहीं होने से यहां कार्यालय का संचालन किया जाना उपयुक्त नहीं है।

कुछ दिन पहले आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भी इस कार्यालय का दौरा किया था, उन्होंने भी इस कार्यालय के लिए इस परिसर को उपयुक्त नहीं माना था। उन्होंने बताया कि मंडल हित में इस भूमि का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किया जाना है, इसलिए इसे तुरंत खाली कराया जाना आवश्यक है। मंडल द्वारा इस जमीन का बेहतर नियोजन कर नीलाम किया जाएगा। मंडल द्वारा एस.एफ.एस. जोन में स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला परिसर भवन के एक भाग को पूर्व के नियम एवं शर्तों पर उपपंजीयक (षष्ठम) कार्यालय के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक एवं जिला कलक्टर, जयपुर को इस वैकल्पिक स्थान के लिए लिखा जा चुका है।

आवासन बोर्ड में सभी संवर्गों में पदोन्नतियां

कर्मचारी संघ ने मण्डल प्रशासन और आयुक्त का जताया आभार

जयपुर (का.सं.)। राजस्थान आवासन बोर्ड में वर्षों बाद माह जून में ही सभी संवर्गों के अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नति करने पर राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा मंगलवार को आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा से मिलकर मण्डल प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया।

संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह रमाणा ने बताया कि वर्षों बाद मण्डल में जून माह में ही संवर्गों के कर्मचारी, अधिकारियों की पदोन्नतियां कर दी गयी है। तकनीकी संवर्ग में आवासीय अभियन्ता पद पर वर्षों बाद पदोन्नतियां की गयी है। इसी तरह लेखा संवर्ग में वरिष्ठ लेखाधिकारी से कनिष्ठ लेखाकार, प्रशासनिक संवर्ग में सहायक आवासन अधिकारी से कनिष्ठ सहायक तक एवं ड्राइंग संवर्ग में सहायक नगर नियोजन से कनिष्ठ प्रारूपकार तक सभी पदों पर पदों की उपलब्धता के अनुसार सभी कार्मिकों को पदोन्नतियां कर दी गयी है। इसलिए राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा आवासन आयुक्त को पुष्पगुच्छ भेंटकर आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि मंडल में वर्षों बाद विभिन्न संवर्गों में 286 पदों पर पदोन्नतियां हुई हैं। इनमें उप आवासन आयुक्त 34, आवासीय अभियन्ता 134, वरिष्ठ लेखाधिकारी 2, लेखाधिकारी 6, सहायक लेखाधिकारी- प्रथम 14 सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय 1, कनिष्ठ लेखाकार 3 सहायक आवासन अधिकारी 6, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 15, सहायक प्रशासनिक अधिकारी 29 सहायक नगर नियोजक 2, नगर नियोजक सहायक 3, वरिष्ठ प्रारूपकार 3, कनिष्ठ सहायक 22, निजी सचिव 2, अतिरिक्त निजी सचिव 7 और जमादार 3 की पदोन्नतियां हुई।